दिनांक 19.03.2025 को सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभाग के लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

पुरातत्व निदेशालय–

1. बिहार विरासत विकास समिति, पटना द्वारा कराए गए कार्यों से संबंधित फोटोग्राफ एवं पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित संक्षिप्त विवरण को समाहित करते हुए विरासत समिति के वेबसाइट को अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालनः–उप कार्यपालक निदेशक / आई०टी० प्रबंधक)
2. बिहार विरासत समिति के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालने का निदेश दिया गया।
3. राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल चिरांद के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एक प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
4. रोहतास जिला अवस्थित शेरशाह सूरी के मकबरे का जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण, पटना को पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया।
5. लखीसराय जिला अवस्थित राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल बालगुदर के चहारदिवारी हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में भेजे गए पत्र के आलोक में विभागीय अभियंताओं को कार्यकारी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई कराने का निदेश दिया गया।
6. गोलघर के बाहरी संरचना का रासायनिक विधि से साफ–सफाई हेतु भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विज्ञान शाखा से पत्राचार करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संदर्भ में परामर्शी का चयन करते हुए विभाग द्वारा ही कार्य को निष्पादित कराए जाने हेतु समानांतर रूप से कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।
7. दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अवस्थित अहिल्या स्थान की नापी कराने तथा जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।
8. गया जिला अंतर्गत बोधगया अवस्थित राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल ताराडीह को भी प्राथमिकता के आधार पर विकसित कराए जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में ताराडीह के उत्खनित क्षेत्र की विधिवत साफ–सफाई कर संरचनात्मक भग्नावशेषों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।
9. अगले वित्तीय वर्ष में राजकीय सुरक्षित घोषित कुल 55 पुरास्थलों / स्मारकों में 10 पुरास्थलों / स्मारकों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने तथा सभी पुरास्थलों

को मुख्यालय से दूरी, फोटो सहित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दिखाने का निदेश दिया गया।

10. पटना अवस्थित राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थलों पर पीतल का अथवा साइनग्लो सूचनापट्ट अधिष्ठापित कराने का निदेश दिया गया।

11. पूर्वी चम्पारण जिला अवस्थित अशोक स्तंभ, लौरिया एवं लौरियानंदनगढ़ स्तूप के उचित रख–रखाव हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस आशय का पत्र देने का निदेश दिया गया है कि यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अशोक स्तंभ परिसर का उचित ढंग से रख–रखाव नहीं किया जाएगा तो इसे राज्य सरकार को सौंप दें ताकि इसका रख–रखाव हो सके।

12. जलालगढ़ किला, पूर्णिया एवं टेकारी किला, गया के संदर्भ में चल रहे टाइटल सूट अध्ययन कर संबंधित पुरास्थलों के विकास कार्य हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा संबंधित जिला पदाधिकारी से इसका वास्तविक रूप क्या है से संबंधित मंतव्य सहित एक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी से मंगाने का निदेश दिया गया।

संग्रहालय निदेशालय–

13. छपरा, गया, मधुबनी संग्रहालय का नए तरीके से एजेंसी के द्वारा Renovation और विकास से संबंधित Plan तैयार करने का निदेश दिया गया।

14. जिलास्तरीय लंबित मामले में बिहार शरीफ संग्रहालय के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराने के कारण बिहारशरीफ संग्रहालय का स्थानांतरण तेल्हाड़ा स्थित नवनिर्मित संग्रहालय भवन में करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने एवं इस संबंध में जिला पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) से मंतव्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

15. संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के 09 कर्मचारियों में से 5 कर्मियों का ACP/MACP संबंधी सेवापुस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है शेष कर्मियों का सेवापुस्त संबंधित संग्रहालयाध्यक्ष से एक सप्ताह के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। एक सप्ताह के अंदर संबंधित कर्मचारियों का सेवापुस्त उपलब्ध नहीं कराने वाले संबंधित संग्रहाल्याध्यक्ष का वेतन स्थगित करने का निदेश निदेशक, संग्रहालय को दिया गया।

16. ई–ऑफिस के माध्यम से संचिकाओं का संचालन शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

17. सीतामढ़ी एवं बेतिया में नया संग्रहालय निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।

18. iGot कर्मयोगी पोर्टल के संबंध में आई०टी० प्रबंधक द्वारा बताया गया कि विभाग के अधिकांश पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा iGot कर्मयोगी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है तथा उसका प्रमाण–पत्र की प्रति भी कार्यालय को समर्पित कर दिया गया है लेकिन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अभी तक iGot कर्मयोगी पोर्टल पर

अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। इस संबंध में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को iGot कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी दो–दो प्रमाण–पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक है तथा स्थापना शाखा को प्रमाण–पत्रों का संग्रह कर संचिका के माध्यम से अवलोकन कराने का निदेश दिया गया।

19. रामचन्द्रशाही संग्रहालय, मुजफ्फरपुर में संग्रहालय भवन के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार के लिए सहायक संग्रहालयाध्यक्ष को निदेशित किया गया कि भवन निर्माण विभाग से संपर्क कर संबंधित कार्य कराये।

20. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, वैशाली के रख–रखाव एवं सुरक्षा हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत करने के लिए तिथि एवं समय निर्धारित करने का प्रस्ताव संचिका के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

21. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, वैशाली के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु बिहार मिलिट्री पुलिस के माध्यम से कराने का प्रस्ताव तथा इस संबंध में बी.एम.पी. के उच्चाधिकारी को पत्र देने का निदेश दिया गया।

<u>सांस्कृतिक कार्य निदेशालय</u>–

22. सभी कलाकारों का डाटा बेस तैयार करने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर को दिया गया।

23. मो० फहद सिद्दकी, जिला कला संस्कृति पदाधिकारी को कार्यक्षमता के अनुरूप कार्य देने का निदेश निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/विशेष कार्य पदाधिकारी–2 को दिया गया।

24. आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में संलेख नोट को बदलने का निदेश निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/विशेष कार्य पदाधिकारी–2 दिया गया।

<u>स्थापना</u>–

28. विभाग में रिक्त दो जिला कला संस्कृति पदाधिकारी का पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को भेजने का निदेश दिया गया।

29. PMU/Event Management Agency/Social Media Agency के चयन/Empanelment से संबंधित संचिका शीघ्र उपस्थापित कराने का निदेश दिया गया।

29. विभागान्तर्गत पत्रिका प्रकाशन हेतु एजेन्सी/सुरक्षा एजेंसी/मैन पावर एजेंसी के चयन Empanelment हेतु निविदा प्रारूप उपस्थापित कराने का निदेश दिया गया।

30. लेखा शाखा एवं बजट शाखा के गठन एवं पद सृजन हेतु संलेख प्रारूप तैयार कर संचिका में उपस्थापित कराने का निदेश दिया गया।

31. सभी जिला कला संस्कृति पदाधिकारियों को पुरातत्व, संग्रहालय, सांस्कृतिक एवं फिल्म से संबंधित विषयों पर तिथिवार प्रशिक्षण देने हेतु पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

32. सचिव की अध्यक्षता में **दिनांक 26.03.2025 (बुधवार) को पूर्वा० 10.30 बजे** विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक रखी जाए एवं उसका एजेंडा बनाने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी को दिया गया।

अन्यान्य–

33. विभाग में पुरातत्व निदेशालय एवं संग्रहालय निदेशालय में पुरास्थलों एवं भवनों के रख–रखाव हेतु अलग–अलग आऊटसोर्स के माध्यम से सुरक्षा गार्ड एवं मानवबल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस संबंध में उप सचिव को निदेश दिया गया कि एक ही विभाग में अलग–अलग शर्तों व दर न हो, इसे देखा जाय एवं आवश्यकता होने पर विभाग स्तर पर एक विज्ञापन निकालकर सभी पुरास्थलों एवं भवनों को सुरक्षा हेतु गार्ड एवं मानवबल उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव दिया जाय।

(अनुपालन–उप सचिव, स्थापना)

34. विभागान्तर्गत जितने भी निदेशालय के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके आदेश की प्रति, स्वीकृत राशि एवं कार्य की प्रगति के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन के साथ दिनांक 25.03.2025 को अप० 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहें। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित करने हेतु का निदेश दिया गया

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता)

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(प्रणव कुमार)
सचिव, 25/3/25
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 540 /   पटना, दिनांक 26/03/2025

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ कार्यपालक अभियंता/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक अभियंता/क्षेत्रीय उप निदेशक/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी/पी0एम0यू0 लीड/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0 टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/03/25
(अनिल कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।